Sources
Preamble, The Union & its Territory, Citizenship

Question

How many types of emergency are there in the Indian constitution-
भारीतय संविधान में कितनी आपातकालीन स्थिति होते है?

(a) 1

(b) 2

(c) 3

(d) 4

In which year the first Amendment to the Constitution was held?

संविधान में पहला संशोधन किस वर्ष में किया गया था?

(a) 1951

(b) 1950

(c) 1949

(d) 1952

- Who among the following Presidents held office for two consecutive terms?
  निम्नलिखित में से किस राष्ट्रपति ने लगातार दो बार कार्यालय पद सम्भाला है?
  (a) Dr. Rajendra Prasad / डॉ. राजेंद्र प्रसाद
  (b) Dr. S. Radhakrishnan / डॉ. एस राधाकृष्णन
  (c) Both ‘a’ and ‘b’ / ‘a’ और ‘b’ दोनों
  (d) Dr. Zakir Hussain / डॉ. जाकिर हुसैन

- Which of the following is a feature of federal Government?
  निम्नलिखित में से क्या संघीय सरकार की एक विशेषता है
  (a) Supremacy of Parliament/ संसद की सर्वोच्चता
  (b) Supremacy of Judiciary/ न्यायपालिका की सर्वोच्चता
  (c) Division of powers between federal and state Government / संघीय और राज्य सरकार के बीच शक्तियों का विभाजन
  (d) Single citizenship/ एकल नागरिकता

- NITI Aayog has been formed to replace which of the following institution?
  निम्नलिखित संस्थानों को प्रतिस्थापित करने के लिए NITI आयोग का गठन किया गया है?
  (a) Planning Commission / योजना आयोग
  (b) IRDA
  (c) Department of Telecommunications (DoT)/ दूरसंचार विभाग
  (d) Department of Information Technology/ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

- In Indian constitution, the method of election of President has been taken from which country?
  भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि किस देश से ली गई है?
  (a) Britain/ब्रिटेन
  (b) USA/अमेरिका
  (c) Ireland /आयरलैंड
  (d) Australia/ऑस्ट्रेलिया

Sources of Constitution

Gov. of India Act, 1935

संघीय योजना, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन प्रावधान और प्रशासनिक विवरण।

Sources of Constitution

Govt. of India Act, 1935

- Federal Scheme
- Judiciary
- Public Service Commission
- Emergency Provisions
- Administrative details

- **संयुक्त राज्य अमेरिका**
- मौलिक अधिकार
- राज्य की कार्यपालिका के प्रमुख तथा सशस्त्र सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर के रूप में राष्ट्रपति कै होने का प्रावधान
- न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता
- न्यायपालिका की स्वतंत्रता
- निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने की विधि एवं वित्तीय आपात।

United Kingdom

Parliamentary Government, Single Citizenship, Legislative Procedure, Bicameral Legislature, Rule of Law, Cabinet System, prerogative writs, C.A.G Office.

U.S.A

Fundamental Rights, Independent judiciary, Judicial Review, Impeachment of the President, removal of Supreme Court & High Court Judges and post of Vice President.

- **ब्रिटेन**
- संसदात्मक शासन-प्रणाली
- एकल नागरिकता एवं विधि-निर्माण प्रक्रिया
- मंत्रियों के उत्तरदायित्व वाली संसदीय प्रणाली।

वाइमर गणराज्य जर्मनी के संविधान

- आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन।

ऑस्ट्रेलिया

- समवर्ती सूची, स्वतंत्रता की व्यापार, वाणिज्य और समागम, संसद के दो सदनों की संयुक्त बैठक।

Weimar Constitution of Germany

Suspension of Fundamental Rights during Emergency.

Australia

Concurrent List, freedom of trade, commerce and inter-course
Joint Sitting of two house of Parliament.

- **कनाडा**

- संघात्मक विशेषताएँ
- अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास होना
- केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति और उच्चतम न्यायालय का परामर्शी न्याय निर्णयन तथा राज्य सभा के सदस्यों का निर्वाचन।

South Africa

Procedure for amendment of the Constitution and election of members of Rajya Sabh.

Canada

Federation with strong Centre, vesting residuary powers in Centre, Appointment of Governors (by Centre), and advisory jurisdiction of the Supreme Court.

- **दक्षिण अफ्रीका** से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान।
- **रूस** से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान।
- **आयरलैंड** से नीति निदेशक सिद्धांत, राष्ट्रपति के निर्वाचक-मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्य सभा में साहित्य, कला, विज्ञान तथा समाज-सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन, आपातकालीन उपबंध।

Ireland

Directive Principles of State Policy, nomination to Rajya Sabha members, and Method of Presidential Election.

U.S.S.R or Russia

Fundamental Duties and idea of justice (social, economic and political) in preamble.

फ्रेंच के संविधान

- गणराज्य और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार।

French Constitution

Republic and the idea of liberty, equality and fraternity in the preamble.

प्रस्तावना

"हम भारत के लोग, भारत को एक सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को:

सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय;

विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता;

प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए ; तथा उन सबमें व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखण्डता सुनिश्चित करनेवाली बंधुता बढाने के लिए दृढ संकल्प होकर,

Preamble

WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens

JUSTICE, social, economic and political;;

LIBERTY of thought, expression, belief, faith and worship;

EQUALITY of status and of opportunity; and to promote among them all

FRATERNITY assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the Nation;

Preamble

IN OUR CONSTITUENT ASSEMBLY this 26th day of November 1949, do HEREBY ADOPT, ENACT AND GIVE TO OURSELVES THIS CONSTITUTION.

प्रस्तावना

- प्रस्तावना की अवधारणा यू.एस.ए. से ली गई है।
- प्रस्तावना न्यायालय में उचित नहीं है।
- 1973 में केशवानंद भारती वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद प्रस्तावना में संशोधन कर सकती है लेकिन उसकी मूलभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकती।
- अब तक प्रस्तावना में एक बार 42 वां संशोधन 1976 किया जा चुका है, और इस संशोधन के द्वारा 3 शब्द (संप्रभु, समाजवादी और धर्मनिरपेक्) को प्रस्तावना में जोड़ा गया था।

Preamble

- The concept of Preamble has been borrowed from U.S.A.
- Preamble is not justifiable in court.
- In 1973, Keshvanand Bharti case Supreme Court
- said that the Parliament can amend but cannot destroy its basic features.
- Till date Preamble has been amended once and that was 42nd amendment 1976. By this amendment 3 words

The Union and its Territory

Part – 1(ARTICLE 1-4)

Article 1: Name and territory of the Union.

- India, that is Bharat, shall be a union of states and the territory.
- The territory of India shall comprise:
  - Territories of the States;
  - The Union territories
  - Other territories as may be acquired

संघ और उसके क्षेत्र

भाग - 1 (अनुच्छेद 1-4)

अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र।

भारत, जो भारत है, राज्यों और क्षेत्रों का एक संघ होगा।

भारत के क्षेत्र में शामिल होंगे:राज्यों के क्षेत्र;केंद्र शासित प्रदेश अन्य क्षेत्रों का अधिग्रहण किया जा सकता है।

The Union and its Territory

Article:2 Admission or establishment of new States-

Parliament may by law admit into the Union, or establish, new States on such terms and conditions as it thinks fit.

Article:3 Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States.

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State:

संघ और उसके क्षेत्र

अनुच्छेद: 2 नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना-

संसद संघ में कानून स्वीकार कर सकती है, या नए राज्यों को ऐसे नियमों और शर्तों पर स्थापित कर सकती है, जैसा कि वह उचित समझते हैं।

अनुच्छेद: 3 नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों का परिवर्तन।

(a) किसी भी राज्य से क्षेत्र को अलग करके या दो या अधिक राज्यों को एकजुट करके या एक नया राज्य बनाते हैं

(b) किसी भी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि;

(c) किसी राज्य का क्षेत्र कम हो जाएगा;

(d) किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन;

(e) किसी राज्य का नाम बदलना:

The Union and its Territory

Evolution of states and Union territories of India:

At the time of Independent:

(1) The British provinces

(2) The princely States

In 1950, the constitution contained a four fold classification of the states

(1) Part A

(2) Part B

(3) Part C

(4) Part D

संघ और उसके क्षेत्र

भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का विकास:

स्वतंत्र के समय:

(1) ब्रिटिश प्रांत

(2) रियासतें

1950 में, संविधान में राज्यों का चार वर्गों वर्गीकरण था:

(1) भाग A

(2) भाग B

(3) भाग C

(4) भाग D

The Union and its Territory

- June, 1948 the Government appointed a the Linguistic Provinces Commission under the chairmanship of S.K. Dhar to examine the feasibility.
- It recommended the reorganization of state on the basis of administrative convenience rather then linguistic factor.
- December, 1948 JVP committee appointed by Congress to examine the whole question afresh.
- It summited its report April 1949 and formally rejected language as the basis for reorganization of states.

संघ और उसके क्षेत्र

- दिसंबर, 1953 में फज़ल अली की अध्यक्षता में सरकार द्वारा तीन सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की गई, जो पूरे प्रश्न की फिर से जाँच करेगा।
- सितंबर 1955 में राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप में भाषा को स्वीकार किया।
- राज्यों के पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने चार स्तरीय राज्यों को समाप्त कर दिया।
- परिणामस्वरूप, 1 नवंबर, 1956 को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए।
- संसद भारत द्वारा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को पारित करते हुए 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं।

The Union and its Territory

- In December, 1953 a three member States Reorganization commission appointed by government under the chairmanship of Fazl Ali to re- examine the whole question.
- In September 1955 accepted language as the basis of reorganization of states.
- By the States Reorganization Act 1956 abolished the four fold States.
- As results, 14 States and 6 union territories were created on November 1, 1956.
- Passing the Jammu and Kashmir Reorganization Act, 2019 by the Parliament India has 28 States and 8 Union Territories.

संघ और उसके क्षेत्र

- जून, 1948 को सरकार ने S.K धार की अध्यक्षता में एक भाषाई प्रांत आयोग व्यवहार्यता की जांच करने के लिए नियुक्ति की।
- इसने प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्य के पुनर्गठन की सिफारिश की, बजाये भाषाई कारक।
- दिसंबर, 1948 जेवीपी कमेटी ने पूरे प्रश्न की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त किया।
- इसने अप्रैल 1949 की अपनी रिपोर्ट में भाषा के औपचारिक रूप से राज्यों के पुनर्गठन के आधार के रूप अस्वीकार कर दिया।

Citizenship Part 2 (article 5-11)

- It only identifies the persons who become citizens of India at its commencement.
- It empowers the Parliament to enact a law to provides for such matters and any other matter relating to citizenship.
- Accordingly, the Parliament has enacted the Citizenship Acts, 1955, which as been amended in 1957,1960,1985,1986,1992,2003,2005, 2015 and 2019.
- The Citizenship Act 1955 prescribes five ways of acquiring citizenship, such as birth, descent, registration, naturalization and incorporation of territory.

नागरिकता भाग 2 (अनुच्छेद 5-11)

- यह केवल उन व्यक्तियों की पहचान करता है जो इसके प्रारंभ में भारत के नागरिक बन जाते हैं।
- यह संसद को ऐसे मामलों और नागरिकता से संबंधित किसी अन्य मामले के लिए एक कानून बनाने का अधिकार देता है।
- तदनुसार, संसद ने नागरिकता अधिनियम, 1955 को अधिनियमित किया है, जो 1957,1960,1985,1986,1992,2003,2005, 2015 और 2019 में संशोधन किया गया है।
- नागरिकता अधिनियम 1955 नागरिकता प्राप्त करने के पांच तरीकों को निर्धारित करता है, जैसे कि जन्म, वंश, पंजीकरण, प्राकृतिककरण और क्षेत्र का समावेश।

Thank you